Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agri.and Technology, Meerut (250110)

6.4.2	**Funds/ Grants received from government bodies/ non government and philanthropists during the last five year for development and maintenance of infrastructure (not covered under Criteria III and V) (INR in lakhs)**
QnM	6.4.2.1 : Total Grants received from government and non government bodies and philanthropists for development and maintenance of infrastructure (not covered under Criteria III and V) year-wise during the last five years (INR in lakhs)

Year	**Name of the government funding agencies**	**Prupose of the Grant**	**Funds/Grants reveived (INR in lakhs)**
2018-19	Government / Non government bodies	Development & Maintenance of infrastructure	820.52
2019-20	Government / Non government bodies	Development & Maintenance of infrastructure	472.28
2020-21	Government / Non government bodies	Development & Maintenance of infrastructure	1862.69
2021-22	Government / Non government bodies	Development & Maintenance of infrastructure	270.01
2022-23	Government / Non government bodies	Development & Maintenance of infrastructure	330.00
		Total	**3755.50**

Finance Comptroller

Comptroller
S.V.P.U.A. & T
Meerut-250 110

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

संख्या-2/2019/533/12-3-2019-100(08)/2018

प्रेषक

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि अनुभाग-3

लखनऊ:: दिनांक: 24 मई, 2018

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में 0214-सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./86/लेखा-80/18-19, दिनांक 30.04.2019, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 205.20 लाख **(रू0 दो करोड़ पॉच लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्न परियोजनान्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रस	परियोजना का नाम	विभाग/ संस्था का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		मानक मद	स्वीकृत धनराशि
			बैठक दिनाँक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7
1	Establishment of Agro-processing centre	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ	**26.09.2018**	**209.00**	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान **योग-**	25.20 180.00 **205.20**

(रू0 दो करोड़ पॉच लाख बीस हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा। उक्त लेखाशीर्षक में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किया जाएगा। उक्त परियोजनान्तर्गत गत वर्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी है, यह प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभाग्र्ाी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभाग्र्ाी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

6- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

http://shasanadesh.up.nic.in

7- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-II, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभा के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

9- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति/संस्थाओं के प्रमुख द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

10- संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति/संस्थाओं के प्रमुख जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। लाभार्थियों की सूची तथा उन्हें दिये गये लाभों का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

11- स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

12- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0214-सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017- 231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक 24.04.2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019- 231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

सं0-2/2019/533(1)/12-3-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर.के.वी.वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- संबंधित कोषाधिकारी, मेरठ।
8- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
11- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2018/552/12-3-2018-100(08)/2018

प्रेषक

प्रशान्त शर्मा,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 01 जून, 2018

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में 0214-सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./156/लेखा-80/18-19, दिनांक 22.05.2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 109.20 लाख (रू0 एक करोड़ नौ लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्न परियोजनान्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रस	परियोजना का नाम	विभाग/ संस्था का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		मानक मद	स्वीकृत धनराशि
			बैठक दिनाँक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7
1	Establishment of advance diagnostic laboratory for identification of livestock diseases in Western UP	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ	04.12.2017	291.00	35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	**24.60**
	Establishment of goat unit for conservation and revitalization of superior germplasm of Barbari goat.		04.12.2017	141.00	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान **योग-**	19.20 65.40 **84.60**
				432.00	**कुल योग-**	**109.20**

(रू0 एक करोड़ नौ लाख बीस हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा। उक्त लेखाशीर्षक में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किया जाएगा।

3- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

5- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

http://shasanadesh.up.nic.in

राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

6- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-II, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

8- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति/संस्थाओं के प्रमुख द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

9- संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति/संस्थाओं के प्रमुख जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। लाभार्थियों की सूची तथा उन्हें दिये गये लाभों का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

10- स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

11- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0214-सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017- 231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रशान्त शर्मा)
विशेष सचिव।

<u>सं0-17/2018/552(1)/12-3-2018-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर.के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- संबंधित कोषाधिकारी, मेरठ।
8- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
11- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

कुलसचिव
स0ब0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-26 /2018/1267/67-कृशिअ-18-500(2)/15

प्रेषक,

बी. राम शास्त्री,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ:दिनांक: 06 जून, 2018

विषय: कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सवप/2018/वी0सी0/4301/18 दिनांक 21 मई, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु पी.एफ.ए.डी. नियोजन विभाग द्वारा आंकलित लागत रू0-1902.18 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-10/2016/196/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 02 मार्च, 2016 द्वारा, रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-40/2016/1101/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 13 जुलाई, 2016 द्वारा, रू0-214.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0- 2/2017/2169/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 14 फरवरी 2017 द्वारा, रू0-166.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-25/2017/731/67-कृशिअ-17-500(2)/15, दिनांक 15 मई, 2017, रू0-233.35 लाख की वित्तीय स्वीकृत शासनादेश सं0-32/2017/1553/67-कृशिअ-17-500(2)/15, दिनांक 30 अगस्त, 2017 तथा रू0-158.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-16/2018/578/67-क्रशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 29.03.2018 सहित कुल रू0-1472.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रश्नगत कार्य के आकलित लागत की अवशेष अन्तर की धनराशि रू0-429.68 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-200.00 लाख (रू0-दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1) धनराशि का आहरण एवं व्यय पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
2) स्वीकृत परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2019 तब अवश्य कर लिया जाएगा।
3) प्रकरण में उल्लिखित उपरोक्त शासनादेशों की शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) उक्त अनुदान का देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक को जिलाधिकारी,मेरठ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।

...निकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
...adesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 2018 में उल्लिखित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक- अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-27-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व मोदीपुरम, मेरठ-2704-केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दि 30 मार्च, 2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

सं0-26 /2018/1267(1)/67-कृशिअ-18,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मेरठ।
3. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि. लखनऊ/ मेरठ ।
4. सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
5. वित्त नियंत्रक,कृषि निदेशालय,लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक,कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में) ।
8. उपकार, लखनऊ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

कुलसचिव
स0ब0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-35/ 2018/ 1480/ 67-कृशिअ-18-1500(62)/ 18टी.सी.

प्रेषक,

बी0राम शास्त्री,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग — लखनऊः दिनांक 27 अगस्त, 2018

विषयः कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डा0 कमल खिलाड़ी, प्रोफेसर, प्लांट पैथोलॉजी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्र संख्या-SVP/2018/PP/69 दिनांक 11.05.2018 तथा उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद के पत्र संख्या-259/ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस/ ए.एच.एफ./ 2017 दिनांक 22.06.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत मद में प्रावधानित धनराशि रू0-200.00 लाख के सापेक्ष रू0-100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त शोध हेतु निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रश्नगत शोध के संचालन हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी शोध में धनराशि का व्ययावर्तन अनुमन्य न होगा।
2. धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
3. प्रश्नगत शोध योजना के संचालन हेतु धनराशि आहरित करने के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्गनत शोध योजना की द्विरावृतित/ पुनरावृतित नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत शोध योजना अन्य किसी योजना से अनुदानित / सहायतित नहीं है।
4. प्रश्नगत शोध के संचालन हेतु आई.सी.ए.आर. द्वारा निर्धारित शोध मानको एवं प्रोटोकाल का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
5. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2019 तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा। योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।
6. शोध हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति तथा निदेशक शोध का होगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से उपकरणों आदि का क्रय संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। केवल उन्ही उपकरणों को क्रय किया जायेगा जो शोध के लिए नितांत आवश्यक हो और पूर्व से विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। यही प्रतिबन्ध मानव संसाधन एवं सेवाओं के संदर्भ में भी होगा।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

8. शोध योजना के संचालन हेतु धनराशि आहरित किये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति तथा वित्त नियंत्रक का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लेगें कि प्रश्नगत शोध का संचालन पूर्व में नहीं किया गया है।
9. प्रश्नगत शोध के संचालन के पूर्व योजना के संचालन की आवश्यकता एवं औचित्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत शोध योजना हेतु वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. प्रश्नगत शोध के संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में पृथक से योजनावार विवरण रखा जायेगा।
12. उक्त अनुदान के देयक जो कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और अर्थ नियंत्रक तथा महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगें। इस देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
13. संबंधित कुलपति/ वित्त नियंत्रक/ महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरांत उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं0-11-लेखाशीर्षक-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01-फसल कृषि कर्म-004-अनुसंधान-04-कृषि विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस-0403-कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-468 / दस-2018, दिनांक 25.7.2018 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है ।

भवदीय,

(बी0राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

<u>सं0-35/ 2018/ 1480(1)/ 67-कृशिअ-18,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदरी प्रथम/ आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त/कोषाधिकारी, मेरठ ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, मेरठ ।
6. उ0प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
7. डा0 कमल खिलाड़ी, प्रोफेसर, प्लांट पैथोलॉजी, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. वित्त (ई) अनुभाग-1
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अन् सचिव।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

2018-19

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि अनुसंधान भवन – II, पूसा, नई दिल्ली – 110 012
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पाण्डेय
Dr. P.S. PANDEY
सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559
Fax : 011-24841559
Email : adgepha@gmail.com
Website : www.icar.org.in

FIRST INSTALMENT

F.No. Agril.Edn./4-59/2017-EP&HS

Dated the 20th November, 2018
03/12/18

To

The Vice Chancellor
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology
Meerut
Uttar Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2018-19 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 20068000.00 lakhs approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under *sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)"* of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. The balance fund is adjustable in the next financial year of the final allocation to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table – I given as under:

Table – I

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2018-19 as First Instalment	15052000.00	5016000.00	20068000.00
2	Unspent balance as per AUC 2017-18			19297637.00
3	Net amount to be released as First Instalment (Sr. No. 1 – Sr. No. 2)			770363.00

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved of by the ICAR.

I. Name of the University: SVBPUAT, Meerut

II. Name of the Plan Scheme: Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India

III. Head Wise Expenditure for the Year 2018 - 19 (FIRST INSTALMENT)

Rs. in lakh

S.No.	Items	Main Univ.	CoA, Meerut	Total
	Grant-in-Aid CAPITAL			
1	Works			
1.1	a Land	0.00	0.00	0.00
1.2	b Building	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Girls Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Boys Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.3	International Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Examination Hall	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Educational Museum	0.00	0.00	0.00
1.2.6	University Auditorium	0.00	0.00	0.00
1.3	c Works	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Repair/Renovation of Hostel	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Repair/Renovation of Examination/Laboratories/Sports Facility/Green Initiatives	70.00	0.00	70.00
1.3.3	Refurbishing of Smart Class Rooms	38.52	0.00	38.52
1.3.4	Centenary Grant/Renovation of Old and Historical Infrastructure	10.00	0.00	10.00
2	Equipment	0.00	0.00	0.00
2.1	Equipment for Central Instrumentation Facility	30.00	0.00	30.00
2.2	Equipment for UG & PG Laboratories/Sports Facility/Green Initiatives excluding computer & its peripherals	0.00	0.00	0.00
2.3	Minor Equipment under Nodal Cell	2.00	0.00	2.00
3	Information Technology (Computer Hardware/Software)	0.00	0.00	0.00
3.1	Computer Hardware	0.00	0.00	0.00
3.2	Computer Software	0.00	0.00	0.00
4	Library Books & Journals	0.00	0.00	0.00
4.1	Print Book	0.00	0.00	0.00
4.2	Print Journal	0.00	0.00	0.00
4.3	e-Book other than CeRA	0.00	0.00	0.00
4.4	e-Journal other than CeRA	0.00	0.00	0.00
4.5	Digitization of Resources	0.00	0.00	0.00
5	Vehicles & Vessels	0.00	0.00	0.00
6	Livestocks	0.00	0.00	0.00
7	Furniture and Fixture for	0.00	0.00	0.00
7.1	Hostel	0.00	0.00	0.00
7.2	Examinational Hall	0.00	0.00	0.00
7.3	Laboratory	0.00	0.00	0.00
7.4	Class Room	0.00	0.00	0.00
7.5	Library	0.00	0.00	0.00
8	Other	0.00	0.00	0.00
	Total CAPITAL	150.52	0.00	150.52
B	Grant-in-Aid Salaries (REVENUE)	0.00	0.00	0.00
C	Grant-in-Aid General (REVENUE)		0.00	0.00
9	Research & Operational Expenses		0.00	0.00
9.1	Research Expenses		0.00	0.00
9.1.1	Curriculum Development and Delivery, Contingency grants for UG/PG Practical and preparation of quality Instructional Manuals	0.00	15.00	15.00

I. Name of the University	: SVBPUAT, Meerut			
II. Name of the Plan Scheme	: Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India			
III. Head Wise Expenditure for the year : 2018 - 19 (FIRST INSTALMENT)			Rs. in lakh	
S.No.	Items	Main Univ.	CoA, Meerut	Total
9.1.2	Strengthening of UG/PG Teaching: Participation of Faculty/Ph.D. students in Seminars/Conferences/Trainings including Educational Tour within the country. In no case funding for foreign travel will be allowed	0.00	15.00	15.00
9.1.3	Support to DEAN	0.00	5.16	5.16
9.2	Operational Expenses	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Student and Faculty Amenities: Tutorials for SC/ST students;Students Counseling,Placement Cell;Health Facilities;Personality Development; Recreation facilities including Agri-Unifest & Agri-Sports	0.00	13.00	13.00
9.2.2	Best Teacher Award; Guest and Adjunct Faculty	0.00	0.00	0.00
9.2.3	Support to Nodal Cell	0.00	2.00	2.00
10	Miscellaneous Expenses	0.00	0.00	0.00
11	Others	0.00	0.00	0.00
12	Publicity & Exhibitions	0.00	0.00	0.00
	Total Grant in Aid-Capital	150.52	0.00	150.52
	Total Grant in Aid-Salary	0.00	0.00	0.00
	Total Grant in Aid-Revenue	0.00	50.16	50.16
	Grand Total : Grant in Aid (CAPITAL+SALARY+REVENUE)	150.52	50.16	200.68

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

Layout plan and estimates of the civil works (including extension if any, to existing civil work) including their design and estimates in particular, for which grant has been released/utilized shall be got approved from the ICAR. In addition, the approval of ICAR is essentially required for each civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and purchase of each and every equipments under the Head Capital. It is further informed that under Revenue Head, only items of consumables nature are admissible and fixed/immovable equipments purchased under Revenue Head will be disallowed. Non-compliance of the instruction of the Council will be viewed seriously and amount incurred will be treated as disallowed.

The aforesaid grant is to be utilized within the current financial year 2018-19. In case of expenditure of the nature of capital investment, the list of works done or items purchased are to be sent to ICAR on the closure of the current financial year, i.e., on 31.03.2019. The Audited Utilization Certificate for this period is also required to be sent immediately thereafter.

As per unspent balance shown in UC/AUC of 2017-18 from the university, the unspent amount has been adjusted/deducted during the release of first instalment out of the allocated budget to the university. The details are given as above in Table – I. This issue is with the approval of AS & FA, DARE/ICAR vide Dy. No. 2005/F/2018 dated 16th November, 2018.

The funds released by the Council will only be utilized for the said colleges being accredited by the ICAR only. This letter conveyed the approval of budgetary allocations only. The implementation of different components/activities shall be regulated based on the availability of funds from ICAR. In case the expenditure exceeds the total released amount during the financial year, the excess amount will not be paid by the Council.

Yours faithfully

(P.S. Pandey)

Copy forwarded for information & necessary action to: -

1. Director (Finance), ICAR, KB, New Delhi with the request to release the funds (*as shown in Sr. No. 3 mentioned in the Table – I above/as per authorized memo)* directly to the university under intimation to this section. The expenditure is to be met out of the grants drawn by Budget Section for disbursement to the State Agricultural Universities during the current financial year 2017-18 under the Scheme *"Strengthening & Development of AUs (Development Grant)"*.
2. The Comptroller, SVBPUAT, Meerut
3. Nodal Officer (ICAR), SVBPUAT, Meerut

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

संख्या- 3 /2018/2623/67-कृशिअ-18-500(2)/15

प्रेषक,

बी0राम शास्त्री,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ:दिनांकः 15 जनवरी, 2019

विषयः कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सवप/2018/वी0सी0/4301/18 दिनांक 21 मई, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-10/2016/196/67-कृशिअ-16-500(2)/15,दिनांक 02 मार्च, 2016 रू0-1902.18 लाख के लागत की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की पुनरीक्षित लागत पी.एफ.ए.डी. नियोजन विभाग के आंकलनोपरांत शासनादेश संख्या-45/2018/2055/67-कृशिअ-18-500(2)/15,दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा आंकलित लागत रू0-2236.61 लाख + (जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी) की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त लागत के सापेक्ष धनराशि रू0-500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-10/2016/196/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 02 मार्च, 2016 द्वारा, रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-40/2016/1101/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 13 जुलाई, 2016 द्वारा, रू0-214.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-2/2017/2169/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 14 फरवरी 2017 द्वारा, रू0-166.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-25/2017/731/67-कृशिअ-17-500(2)/15, दिनांक 15 मई, 2017, रू0-233.35 लाख की वित्तीय स्वीकृत शासनादेश सं0-32/2017/1553/67-कृशिअ-17-500(2)/15, दिनांक 30 अगस्त, 2017 तथा रू0-158.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-16/2018/578/67-क्रशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 29.03.2018 द्वारा तथा रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-26/2018/1267/67-क्रशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 04.06.2018 द्वारा सहित कुल रू0-1672.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रश्नगत कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रावधानित धनराशि रू0-400.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-200.00 लाख (रू0-दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1) धनराशि का आहरण एवं व्यय पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
2) स्वीकृत परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2019 तब अवश्य कर लिया जाएगा।
3) प्रकरण में उल्लिखित उपरोक्त शासनादेशों की शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

... हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

4) वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप धनराशि आहरित करते हुये निर्दिष्ट अवधि में उपभोग सुनि किया जाय एवं मितव्ययिता के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5) कार्यों की फेजिंग तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति से विभाग/शासन को समयबद्ध रूप से अवगत कराया जाय।

6) उक्त अनुदान का देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक को जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।

7) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा शासनादेश सं0-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 में उल्लिखित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-27-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ-2704-केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1- 27 /दस-2019 दिनांक 12 जनवरी, 2019 में प्राप्त सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

15-1-19

(बी0राम शास्त्री)
सचिव।

सं0- 3 /2018/2326(1)/67-कृशिअ-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सहायक निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा मेरठ।
3. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ ।
5. वित नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक / परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. लखनऊ / मेरठ ।
7. निदेशक, प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ
8. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
9. वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- /2019/956/67-कृशिअ-19-500(2)/15

प्रेषक,

बी0राम शास्त्री,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 28 जून, 2019

विषयः कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवशेष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सवप/वी0सी0/4593/2019 दिनांक 03 जून, 2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-10/2016/196/67-कृशिअ-16-500(2)/15,दिनांक 02 मार्च, 2016 रू0-1902.18 लाख के लागत की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की पुनरीक्षित लागत पी.एफ.ए.डी. नियोजन विभाग के आंकलनोपरांत शासनादेश संख्या-45/2018/2055/67-कृशिअ-18-500(2)/15,दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा आंकलित लागत रू0-2236.61 लाख +(जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी) की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त लागत के सापेक्ष धनराशि रू0-500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-10/2016/196/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 02 मार्च, 2016 द्वारा, रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-40/2016/1101/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 13 जुलाई, 2016 द्वारा, रू0-214.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0- 2/2017/2169/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 14 फरवरी 2017 द्वारा, रू0-166.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-25/2017/731/67-कृशिअ-17-500(2)/15, दिनांक 15 मई, 2017, रू0-233.35 लाख की वित्तीय स्वीकृत शासनादेश सं0-32/2017/1553/67-कृशिअ-17-500(2)/15, दिनांक 30 अगस्त, 2017, रू0-158.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-16/2018/578/67-कृशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 29.03.2018, रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-26/2018/1267/67-कृशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 04.06.2018 तथा रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-3/2018/2623/67-कृशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 15.01.2019 द्वारा सहित कुल रू0-1872.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्तानुसार स्वीकृति के पश्चात प्रश्नगत कार्य की अवशेष लागत की धनराशि रू0-364.11 लाख + जी.एस.टी. नियमानुसार के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रू0-252.28 लाख (रू0-दो करोड़ बावन लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1) धनराशि का आहरण एवं व्यय पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
2) स्वीकृत परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2020 तब अवश्य कर लिया जाएगा।
3) प्रकरण में उल्लिखित उपरोक्त शासनादेशों की शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

4) वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप धनराशि आहरित करते हुये निर्दिष्ट अवधि में उपभोग सुनिश्चित किया जाय एवं मितव्ययिता के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5) कार्यों की फेजिंग तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति से विभाग/शासन को समयबद्ध रूप से अवगत कराया जाय।

6) उक्त अनुदान का देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक को जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।

7) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-01/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-27-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ-2704-केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0राम शास्त्री)
सचिव।

<u>सं0- /2019/956(1)/67-कृशिअ-19, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. सहायक निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा मेरठ।
3. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक / परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 लखनऊ / मेरठ ।
7. निदेशक, प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ।
8. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

कुलसचिव
सं0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2019-20.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान भवन –II, पूसा, नई दिल्ली – 110 012

Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa,New Delhi - 110 012

N.S. RATHORE

uty Director General (Agricultural Education)

Phone : 011-25841760
Fax : 011-24843532
E-mail : ddgedn@gmail.com
Website: www.icar.org.in

F.No. Agril.Edn./4-59/2017-EP&HS

Dated the 31st July, 2019

To

The Vice Chancellor
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology
Meerut
Uttar Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component **"Strengthening and Development of AUs (Development Grant)"** under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2019-20 – **Release of First Instalment** - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 17000000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under ***sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)"*** of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. The balance fund is adjustable in the next financial year of the final allocation to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table – I given as under:

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

Table – I

S. No.	Particulars	Amount in Rs.		
	Financial Year – 2019-20	**Capital**	**General**	**Total**
1	Fund allocated	12000000.00	5000000.00	17000000.00
2	Unspent amount (as per UC/AUC 2018-19) submitted by the university			455387.00
3	**Net Amount to be released as First Instalment**			**16544613.00**

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved by the ICAR.

Layout plan and estimates of the civil works (including extension if any, to existing civil work) including their design and estimates in particular, for which grant has been released/utilized shall be got approved from the ICAR. In addition, the approval of ICAR is essentially required for each civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and purchase of each and every equipments under the Head Capital. It is further informed that under Revenue Head, only items of consumables nature are admissible and fixed/immovable equipments purchased under Revenue Head will be disallowed. Non-compliance of the instruction of the Council will be viewed seriously and amount incurred will be treated as disallowed.

The aforesaid grant is to be utilized within the current financial year 2019-20. In case of expenditure of the nature of capital investment, the list of works done or items purchased are to be sent to ICAR on the closure of the current financial year, i.e., on 31.03.2020. The Audited Utilization Certificate for this period is also required to be sent immediately thereafter.

As per unspent balance shown in UC/AUC of 2018-19 from the university, the unspent amount has been adjusted/deducted during the release of first instalment out of the allocated budget to the university. The details are given as above in Table – 1. This issue is with the approval of AS & FA, DARE/ICAR vide Dy. No. 1342/F/2019 dated the 25th July, 2019.

The funds released by the Council will only be utilized for the said colleges being accredited by the ICAR only. This letter conveyed the approval of budgetary allocations only. The implementation of different components/activities shall be regulated based on the availability of funds from ICAR. In case the expenditure exceeds the total released amount during the financial year, the excess amount will not be paid by the Council.

Funds under the Head Capital are earmarked for ongoing civil works only i.e. repair/renovation/refurbishing etc. In no case funds will be used for new civil works, purchase of new equipments; and any Annual Maintenance Contract (AMC).

Yours faithfully

(N.S. Rathore)

Copy forwarded for information & necessary action to: -

1. Director (Finance), ICAR, KB, New Delhi with the request to release the funds ***(as shown in Sr. No. 3 mentioned in the Table – I above/as per authorized memo)*** directly to the university under intimation to this section. The expenditure is to be met out of the grants drawn by Budget Section for disbursement to the State Agricultural Universities during the current financial year 2019-20 under the sub component ***"Strengthening & Development of AUs (Development Grant)"***.
2. The Comptroller, SVBPUAT, Meerut
3. Nodal Officer (ICAR), SVBPUAT, Meerut

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

I. Name of the University	SVBPUAT, Meerut			
II. Name of the Plan Scheme	Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India			
III. Head Wise Expenditure for the year	2019 - 20 (FIRST INSTALMENT)		Rs. in lakh	
S.No.	Items	Main Univ.	CoA, Meerut	Total
	Grant-in-Aid CAPITAL			
1	Works	0.00	0.00	0.00
1.1	Land	0.00	0.00	0.00
1.2	Building	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Girls Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Boys' Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.3	International Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Examination Hall	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Educational Museum	0.00	0.00	0.00
1.2.6	University Auditorium	0.00	0.00	0.00
1.3	Works	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Repair/Renovation of Hostel	0.00	40.00	40.00
1.3.2	Repair/Renovation of Examination Laboratories Sports Facility/Green Initiatives	10.00	30.00	40.00
1.3.3	Refurbishing of Smart Class Rooms	10.00	10.00	20.00
1.3.4	Centenary Grant Renovation of Old and Historical Infrastructure	0.00	0.00	0.00
2	Equipment	0.00	0.00	0.00
2.1	Equipment for Central Instrumentation Facility	10.00	0.00	10.00
2.2	Equipment for UG & PG Laboratories Sports Facility/Green Initiatives excluding computer & its peripherals	0.00	10.00	10.00
2.3	Minor Equipment under Nodal Cell	0.00	0.00	0.00
3	Information Technology (Computer Hardware/Software)	0.00	0.00	0.00
3.1	Computer Hardware	0.00	0.00	0.00
3.2	Computer Software	0.00	0.00	0.00
4	Library Books & Journals	0.00	0.00	0.00
4.1	Print Book	0.00	0.00	0.00
4.2	Print Journal	0.00	0.00	0.00
4.3	e-Book other than CeRA	0.00	0.00	0.00
4.4	e-Journal other than CeRA	0.00	0.00	0.00
4.5	Digitization of Resources	0.00	0.00	0.00
5	Vehicles & Vessels	0.00	0.00	0.00
6	Livestocks	0.00	0.00	0.00
7	Furniture and Fixture for	0.00	0.00	0.00
7.1	Hostel	0.00	0.00	0.00
7.2	Examinational Hall	0.00	0.00	0.00
7.3	Laboratory	0.00	0.00	0.00
7.4	Class Room	0.00	0.00	0.00
7.5	Library	0.00	0.00	0.00
8	Other	0.00	0.00	0.00
	Total CAPITAL	30.00	90.00	120.00
R	Grant-in-Aid Salaries (REVENUE)	0.00	0.00	0.00
	Grant-in-Aid General(REVENUE)		0.00	0.00
9	Research & Operational Expenses		0.00	0.00
9.1	Research Expenses		0.00	0.00
9.1.1	Curriculum Development and Delivery; Contingency grants for UG/PG Practical and preparation of quality Instructional Manuals	17.00	17.00	34.00

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

I. Name of the University	: SVBPUAT, Meerut			
II. Name of the Plan Scheme	: Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India			
III. Head Wise Expenditure for the year : 2019 - 20 (FIRST INSTALMENT)			Rs. in lakh	
S.No.	Items	Main Univ.	CoA, Meerut	Total
9.1.2	Strengthening of UG/PG Teaching: Participation of Faculty Ph.D. students in Seminars/Conferences/Trainings including Educational Tour within the country. In no case funding for foreign travel will be allowed	2.00	2.00	4.00
9.1.3	Support to DLAN	0.00	0.00	0.00
9.2	Operational Expenses	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Student and Faculty Amenities: Tutorials for SC/ST students;Students Counseling,Placement Cell;Health Facilities;Personality Development: Recreation facilities including Agri-Unifest & Agri-Sports	5.00	5.00	10.00
9.2.2	Best Teacher Award; Guest and Adjunct Faculty	0.00	0.00	0.00
9.2.3	Support to Nodal Cell	2.00	0.00	2.00
10	Miscellaneous Expenses	0.00	0.00	0.00
11	Others	0.00	0.00	0.00
12	Publicity & Exhibitions	0.00	0.00	0.00
	Total Grant in Aid-Capital	**30.00**	**90.00**	**120.00**
	Total Grant in Aid-Salary	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Grant in Aid-Revenue	**26.00**	**24.00**	**50.00**
	Grand Total : Grant in Aid (CAPITAL+SALARY+REVENUE)	**56.00**	**114.00**	**170.00**

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान भवन –II, पूसा, नई दिल्ली – 110 012

Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa,New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559
Fax : 011-24841559
Email : adgephs@gmail.com
Website : www.icar.org.in

F. No. Ag.Edn./21(62)/2017-EP&HS

Dated: 21st February, 2020

To

The Vice Chancellor,
Sardar Vallabhai Patel University of Agriculture & Technology
Meerut – 250110
Uttar Pradesh

Subject: Vetting of new civil work at TNJFU, Nagapattinam – reg.

Sir,

With reference to letter no. SVP/F/9476 dated the 12th February, 2020 on the subject cited above, the technical vetting a of the Council is hereby conveyed for the new civil works mentioned below:-

S. No.	Name of work	Numbers	Estimated cost	Maximum ceiling of ICAR Share
A	B	C	D	E
1.	Construction of Skill Development Centre at SVBPUAT, Meerut	1	Rs.141.09 lakhs	**Rs.100.00 lakh**

The sanction is issued to the condition that the construction may be completed timely and no escalation will be permitted after completing all codal formalities and payment shall be made to the vendors as per justified tendered rates based on the actual measurements being recorded at site and as per justified tendered rates approved by the University. The ICAR share will be restricted as per amount mentioned in **col.E** above and cost over and above will be met by the University from its own resources. An undertaking may also be provided to the undersigned that additional funds will be met from university fund to complete the work within stipulated time.

Yours faithfully

(P.S. Pandey)

कुलपति कार्यालय क्रम 30352 24/2/2020

Copy forwarded for information & necessary action to: -

1. The Nodal Officer (Ag. Edn.), SVBPUA&T, Meerut
2. The Comptroller, SVBPUA&T, Meerut

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

F.C | Nodal officer (ICAAR) | O/C Construction.

25.02.2020

नियन्त्रक कार्यालय क्रम सं० 6395 दि० 26/2/2

AA 26/2/2020

(S. N. Pandey)
Accounts Officer
S. V. B. P. U.A. & T.
Meerut

Mittal
S.V.P.U.A.&T. Meerut

AO(P)

26/2/2020

AVADH NARAYAN
Comptroller

संख्याः-26/2020/1241/67-कृशिअ-20-1500(62)/16टी.सी.

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग — लखनऊः दिनांक 13 अक्टूबर, 2020

विषयः कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सवप/वी0सी0/4890/2020 दिनांक 24.06.2020 एवं पत्र संख्या-सवप/वी0सी0/4921/2020 दिनांक 29.07.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु शोध अवधि 05 वर्ष के संचालन की लागत शासनादेश संख्या-34/2018/1937/67-कृशिअ-18-1500(62)/2016 दिनांक 27.08.2018 द्वारा धनराशि रू0-515.25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत कार्य हेतु प्रावधानित धनराशि रू0-200.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-35/2018/1480/67-कृशिअ-1-1500(62)/2016टी.सी. दिनांक 27 अगस्त, 2018 द्वारा रू0-100.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत कार्य हेतु प्रावधानित धनराशि रू0-100.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-5/2020/194/67-कृशिअ-20-1500(62)/2016टी.सी. दिनांक 12 फरवरी, 2020 द्वारा रू0-50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, किन्तु उक्त निर्गत धनराशि रू0-45.00 लाख का व्यय परियोजना के कार्यों में कर लिया गया है। अवशेष धनराशि रू0-5.00 लाख समय अभाव के कारण व्यय न हो पाने के कारण अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रू0-100.00 लाख प्राविधान है, जिसे चार समान तिमाही किश्तों में निर्गत किया जाना है, के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त शोध हेतु निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रश्नगत शोध के संचालन हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी शोध में धनराशि का व्ययावर्तन अनुमन्य न होगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी। धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
3. प्रश्नगत शोध योजना के संचालन हेतु धनराशि आहरित करने के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत शोध योजना की द्विरावृतित/पुनरावृतित नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत शोध योजना अन्य किसी योजना से अनुदानित /सहायतित नहीं है।
4. प्रश्नगत शोध के संचालन हेतु आई.सी.ए.आर. द्वारा निर्धारित शोध मानको एवं प्रोटोकाल का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
5. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2021 तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा। योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।
6. शोध हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति तथा निदेशक शोध का होगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से आवश्यक उपकरणों आदि का क्रय संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। केवल उन्ही उपकरणों को क्रय किया जायेगा जो शोध के लिए नितांत आवश्यक हो और पूर्व में विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। यही प्रतिबन्ध मानव संसाधन एवं सेवाओं के संदर्भ में भी होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब धनराशि की आवश्यकता हो। धनराशि का आहरण एक मुश्त कदापि न किया जाये।

8649
03/11/2020
A-O (P)

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

9. शोध योजना के संचालन हेतु धनराशि आहरित किये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति तथा वित्त नियंत्रक का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लेगें कि प्रश्नगत शोध का संचालन पूर्व में नहीं किया गया है ।
10. प्रश्नगत शोध के संचालन के पूर्व योजना के संचालन की आवश्यकता एवं औचित्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।
11. प्रश्नगत शोध योजना हेतु वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये विस्तृत मानक को उपलब्ध कराया जायेगा ।
12. प्रश्नगत शोध के संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में पृथक से योजनावार विवरण रखा जायेगा ।
13. उक्त अनुदान के देयक कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगें। इस देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा ।
14. कुलपति/ वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरांत सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।
15. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों /प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय एवं निविदा संबंधी शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-11-लेखाशीर्षक-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01-फसल कृषि कर्म-004-अनुसंधान-04-कृषि विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस-0403-कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-795/दस-2020 दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

सं0-2.6/2020/1241(1)/67-कृशिअ-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदरी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. मण्डलायुक्त/कोषाधिकारी, मेरठ ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि तत्काल ग्रिड रिपोर्ट निर्गत करने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
6. वित्त (ई) अनुभाग-1
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

कुलसचिव
स0व0प्र0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

संख्या-27/2020/1707/67-कृशिअ-20-500(2)/15

प्रेषक,

अनिल ढींगरा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ:दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

विषय: कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवशेष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सवप/वी0सी0/4966/2019 दिनांक 19.09.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-10/2016/196/67-कृशिअ-16-500(2)/15,दिनांक 02 मार्च, 2016 रू0-1902.18 लाख के लागत की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की पुनरीक्षित लागत पी.एफ.ए.डी. नियोजन विभाग के आंकलनोपरांत शासनादेश संख्या-45/2018/2055/67-कृशिअ-18-500(2)/15,दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा आंकलित लागत रू0-2236.61 लाख +(जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी) की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त लागत के सापेक्ष धनराशि रू0-500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-10/2016/196/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 02 मार्च, 2016 द्वारा, रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-40/2016/1101/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 13 जुलाई, 2016 द्वारा, रू0-214.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0- 2/2017/2169/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 14 फरवरी 2017 द्वारा, रू0-166.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-25/2017/731/67-कृशिअ-17-500(2)/15, दिनांक 15 मई, 2017, रू0-233.35 लाख की वित्तीय स्वीकृत शासनादेश सं0-32/2017/1553/67-कृशिअ-17-500(2)/15, दिनांक 30 अगस्त, 2017, रू0-158.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-16/2018/578/67-कृशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 29.03.2018, रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-26/2018/1267/67-कृशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 04.06.2018 तथा रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-3/2018/2623/67-कृशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 15.01.2019 एवं शासनादेश सं0-22/2019/956/67-कृशिअ-19-500(2)/15 दिनांक 28.06.2019 द्वारा धनराशि रू0- 252.28 लाख की स्वीकृति सहित कुल रू0-2124.78 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्तानुसार स्वीकृति के पश्चात प्रश्नगत कार्य हेतु देय जी.एस.टी. धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0-102.77 लाख (रू0 एक करोड़ दो लाख सतहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1) धनराशि का आहरण एवं व्यय पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

2) स्वीकृत परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जाएगा।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

3) प्रकरण में उल्लिखित उपरोक्त शासनादेशों की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप धनराशि आहरित करते हुये निर्दिष्ट अवधि में उपभोग सुनिश्चित किया जाय एवं मितव्ययिता के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5) कार्यों की फेजिंग तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति से विभाग/शासन को समयबद्ध रूप से अवगत कराया जाय।
6) उक्त अनुदान का देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक को जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।
7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020, एवं 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-27-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ-2704-केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-791/दस-2020 दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल ढींगरा)
विशेष सचिव।

<u>सं0-27/2020/1707(1)/67-कृशिअ-20, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, मेरठ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक / परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 लखनऊ / मेरठ ।
6. निदेशक, प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ।
7. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

कुलसचिव
स०व०प्र० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–1439/12–3–2020–2018

V. C. Office
R No. 6642
24/11/20

प्रेषक

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 23 नवम्बर, 2020

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक–रा.कृ.वि.यो./437/लेखा–80/20–21, दिनांक 05.10.2020, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2020–21 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध प्राविधान से रू0 393.00 लाख (रू0 तीन करोड़ तिरानबे लाख मात्र) की धनराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्न परियोजनान्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रस	परियोजना का नाम	विभाग/ संस्था का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन बैठक दिनाँक	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन धनराशि	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	Establishment of referral analytical laboratory for microbial toxins and environment pollutants/toxicants	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	16.06.2020	393.00	अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म -- 800- अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के. 60/रा.40–के.+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएँ (के.60/रा.40–के.+रा.) 20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान योग–	 10.00 253.00 263.00
					अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के.+रा.) 0213–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएँ (के.60/रा.40–के.+रा.) 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	130.00
					कुल योग–	393.00

(रू0 तीन करोड़ तिरानबे लाख मात्र)

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरात ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3– स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। प्रस्ताव में उल्लिखित आंकड़ों की शुद्धता/केन्द्राश की उपलब्धता तथा स्वीकृत धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

4– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त सहित संगत शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किये जाने का उत्तरदायित्व कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा।

5– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों मे उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों मे व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की सख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या–3497/12–3–2012–100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

6– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदो पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय–व्ययक मे प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद मे व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना मे प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

7– स्वीकृत धनराशि सभावित व्यय की फेजिग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहा तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एव वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एव वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशि को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलो में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का ... (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

8— स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या—बी—1—1195/ दस—16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ—साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर—12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9— वित्त लेखा अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—ए—1—285/दस—2012—10(29)/2011टी.सी.—।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे केडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या—1—11011/58/2013—डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

10— योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति/संस्थाओं के प्रमुख द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

11— संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति/संस्थाओं के प्रमुख जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा लाभार्थियों की सूची विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किया जाय। लाभार्थियों की सूची तथा उन्हें दिये गये लाभों का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

12— स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा।

13— उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020—21 के आय—व्ययक के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

14— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1/2017/वी—1—02/दस—2017—231/2017, दिनाक 02.01.2017 एवं 1/2018/वी—1—375/दस—2018—231/2018, दिनांक 30.03.2018 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या—3/2018/बी—1—438/दस—2018—231/2018, दिनांक 24.04.2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या—1/2019/बी— 1—170/दस—2019—231/2019, दिनांक 22.03.2019, कार्यालय ज्ञाप संख्या—1/2020/वी—1—149/ दस—2020—231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या—4/2020/बी—1—192/दस—2020—231/2020, दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या—5/2020/बी—1— 196/दस—2020—231/2020, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या—6/2020 /वी—1—218/दस— 2020—231/2020, दिनांक 18.05.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

सं0—1439(1)/12—3—2020—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2— महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एव सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4— संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5— अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6— निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7— संबंधित कोषाधिकारी, मेरठ।
8— जिलाधिकारी, मेरठ।
9— वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10— नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
11— वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग—1/कृषि अनुभाग—5/नियोजन अनुभाग—3
12— शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

संख्या–1439/12–3–2020–[illegible]2018

प्रेषक

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि विश्वविद्यालय,
मेरठ।

University of Agriculture & Technology S.V.B.P. V.C. Office R. No. 6642 24/11/20

कृषि अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 23 नवम्बर, 2020

विषय:– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक–रा.कृ.वि.यो. /437/लेखा–80/20–21, दिनांक 05.10.2020, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2020–21 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध प्राविधान से रू0 393.00 लाख (रू0 तीन करोड़ तिरानबे लाख मात्र) की धनराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्न परियोजनान्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रस	परियोजना का नाम	विभाग/ संस्था का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		मानक मद	स्वीकृत धनराशि
			बैठक दिनाँक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7
1	Establishment of referral analytical laboratory for microbial toxins and environment pollutants/toxicants	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	16.06.2020	393.00	अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म -- 800--अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के. 60/रा.40–के.+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाऐं (के.60/रा.40–के.+रा.) 20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान योग–	 10.00 253.00 263.00
					अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के.+रा.) 0213–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाऐं (के.60/रा.40–के.+रा.) 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	130.00
					कुल योग–	393.00

(रू0 तीन करोड़ तिरानबे लाख मात्र)

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3– स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। प्रस्ताव में उल्लिखित आंकड़ों की शुद्धता/केन्द्रांश की उपलब्धता तथा स्वीकृत धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

4– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त सहित संगत शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किये जाने का उत्तरदायित्व कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा।

5– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों मे व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या–3497/12–3–2012–100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

6– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदो पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय–व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

7– स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एव वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एव वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलो में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का [illegible] क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

8— स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या—बी—1—1195/ दस—16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ—साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर—12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9— वित्त लेखा अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—ए—1—285/दस—2012—10(29)/2011टी.सी.—II, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या—1—11011/58/2013—डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

10— योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति/संस्थाओं के प्रमुख द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

11— संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति/संस्थाओं के प्रमुख जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा लाभार्थियों की सूची विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किया जाय। लाभार्थियों की सूची तथा उन्हें दिये गये लाभों का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

12— स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा।

13— उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020—21 के आय—व्ययक के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

14— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1/2017/वी—1—02/दस—2017—231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/वी—1—375/दस—2018—231/2018, दिनांक 30.03.2018 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या—3/2018/वी—1—438/दस—2018—231/2018, दिनांक 24.04.2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या—1/2019/बी— 1—170/दस—2019—231/2019, दिनांक 22.03.2019, कार्यालय ज्ञाप संख्या—1/2020/वी—1—149/ दस—2020—231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या—4/2020/वी—1—192/दस—2020—231/2020, दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या—5/2020/वी—1— 196/दस—2020—231/2020, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या—6/2020 /बी—1—218/दस— 2020—231/2020, दिनांक 18.05.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

सं0—1439(1)/ 12—3—2020—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2— महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4— संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5— अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6— निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7— संबंधित कोषाधिकारी, मेरठ।
8— जिलाधिकारी, मेरठ।
9— वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10— नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
11— वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग—1/कृषि अनुभाग—5/नियोजन अनुभाग—3
12— शासनादेश की वेवसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
(राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक– आर0के0वी0वाई0/ 001-115-0912/लेखा–80/2020–21 दिनाँक 11 दिसम्बर 2020

कुलपति,
सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय,
मेरठ।

मानक मद

2	4	0	1	0	0	8	0	1	0	0	2	1	4

वित्तीय वर्ष 2020–21 में शासनादेश संख्या–1439/12–3–2020–100(08)/2018 दिनाँक 23 नवम्बर 2020 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की परियोजना Establishment of referral analytical laboratory for microbial toxins and environment pollutants/toxicants हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ (के.60/रा.40–के+रा.) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में रू0 263.00 लाख (रू0 दो करोड़ तिरसठ लाख मात्र) का आवंटन संलग्न विवरण एवं निम्न शर्तों के अनुसार किया जाता है।

1– आवंटित धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा तथा शासनादेश दिनाँक 23.11.2020 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– आवंटित धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं समस्त नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्ययोजना मे प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

4– आवंटित धनराशि सम्भावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5– व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्डसै ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2020/बी–1–149/ दस–2020–231/2020, दिनाँक 24.03.2020 शासनादेश संख्या–4/2020/बी–1–192/दस–2020–231/ दिनाँक 07.04.2020, शासनादेश संख्या–5/2020 बी/1–196/दस–2020–231/2020 दिनाँक 11.04.2020, शासनादेश संख्या–6/2020/बी–1–2018/ दस–2020–231

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

2020 दिनाँक 18.05.2020 एवं शासनादेश संख्या–7/2020–बी–1–306/दस–2020–231/2020 दिनाँक 17.06.2020 दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हों।

8– कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगें। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact Assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक किया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यों का पूर्ण का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

9– कोषागारों में प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों पर उपर्युक्तानुसार 15 अंकों का कोड अवश्य अंकित किया जाय।

10– उक्त आवंटन नियोजन लेखा अनुभाग की आवंटन नियंत्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या - 113 के क्रमांक पर अंकनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

(रमेश चन्द्र राय)
वित्त नियंत्रक,
कृषि निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्राँक– आर0के0वी0वाई0/ /लेखा–80/2019–20 दिनाँक: उक्त।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. नोडल अधिकारी आर0के0वी0वाई0, कृषि भवन, लखनऊ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/ द्वितीय उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, आर.के.वी.वाई., भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक कृषि निदेशालय, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
5. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, कृषि अनुभाग–3, सचिवालय, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी मेरठ।
7. अर्थ नियंत्रक, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ।
9. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (समीक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10. सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर) नियोजन लेखा अनुभाग, कृषि भवन, लखनऊ।

वित्त नियंत्रक
कृषि निदेशालय
उत्तर प्रदेश।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
(राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रॉक– आर0के0वी0वाई0 / / लेखा–80 / 2020–21 दिनॉक ~~नवम्बर 2020~~ 11/12/2020

कुलपति,
सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय,
मेरठ।

मानक मद

2	4	0	1	0	0	7	8	9	0	2	1	3	3	5

वित्तीय वर्ष 2020–21 में शासनादेश संख्या–1439 / 12–3–2020–100(08) / 2018 दिनॉक 23 नवम्बर 2020 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की परियोजना Establishment of referral analytical laboratory for microbial toxins and environment pollutants/toxicants हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के 60 / रा 40 के+रा) 0213–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएँ (के 60 / रा 40–के+रा) के अन्तर्गत मानक मद 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में रू0 130.00 लाख (रू0 एक करोड तीस लाख मात्र) का आवटन सलग्न विवरण एवं निम्न शर्तों के अनुसार किया जाता है।

1– आवंटित धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा तथा शासनादेश दिनॉक 23.11.2020 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– आवंटित धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव / अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों / गाइड लाइन्स एवं सुसंगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्ययोजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

4– आवंटित धनराशि सम्भावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहा तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति / स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5– व्यय प्रबंधन एव शासकीय व्यय मे मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने मे उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 मे दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2020 / बी–1–149 / दस–2020–231 / 2020, दिनॉक 24.03.2020, शासनादेश संख्या–4 / 2020 / बी–1–192 / दस–2020–231 / दिनॉक 07.04.2020 शासनादेश संख्या–5 / 2020 / बी / 1–196 / दस–2020–231 / 2020 दिनॉक 11.04.2020 [illegible]

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

2020 दिनाँक 18.05.2020 एवं शासनादेश संख्या-7/2020-ई-1-306 दस-2020-231 2020 दिनाँक 17.06.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7— योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक [illegible] प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हों।

8— कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एव प्रसार सुनिश्चित करेंगें। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact Assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक किया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

9— कोषागारों में प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों पर उपर्युक्तानुसार 15 अंकों का कोड अवश्य अंकित किया जाय

10— उक्त आवंटन नियोजन लेखा अनुभाग की आवंटन नियंत्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या-135 के क्रमांक-81 पर अंकनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक—यथोपरि।

(रमेश चन्द्र राय)
वित्त नियंत्रक
कृषि निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्राँक— आर0के0वी0वाई0/001-116-0912-85 लेखा—80/2019—20 दिनाँकः उक्त।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. नोडल अधिकारी आर0के0वी0वाई0, कृषि भवन, लखनऊ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/ द्वितीय उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, आर.के.वी.वाई., भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक कृषि निदेशालय, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
5. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, कृषि अनुभाग—3, सचिवालय, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी मेरठ।
7. अर्थ नियंत्रक, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ।
9. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (सम्प्रेक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10. सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर) नियोजन लेखा अनुभाग, कृषि भवन, लखनऊ।

वित्त नियंत्रक
कृषि निदेशालय
उत्तर प्रदेश।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

संख्याः-35 /2020/2104/67-कृशिअ-20-1500(3)/16टी.सी.-6

प्रेषक,

अनिल ढींगरा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ/बांदा ।

नियन्त्रक कार्यालय 9258 05/1/2021

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊः दिनांक 14 दिसम्बर, 2020

विषयः कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों (जोनस) में दो कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधानित धनराशि के वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्र सं0-सवप/वी.सी./4959/2020, दिनांक 09.09.2020 एवं वित्त नियंत्रक, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्र सं0-509/एफ.सी./2020, दिनांक 04.11.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों (जोन्स) में दो कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने हेतु संगत कृषि जलवायु जोन के अनुकूल चयनित फसल/प्रणाली/तकनीक हेतु सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने के दृष्टिगत संलग्न तालिका के कालम-3 में अंकित संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्रवार तथा कालम-4 में उल्लिखित कृषि जलवायुवीय क्षेत्र / जनपद की उपयुक्तता के दृष्टिगत चिन्हित कार्य क्षेत्र हेतु विश्वविद्यालय को आवंटित कुल धनराशि में से सूची के कालम-6 में प्रति कृषि विज्ञान केन्द्रवार आवंटित धनराशि व्यय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधानित कुल धनराशि रू0-900.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ तथा बांदा को धनराशि रू0-200.00 लाख (दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित तालिका/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

6625 4/1/2021

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	कृषि विश्वविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राजस्व मद की संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राजस्व मद में संस्तुत धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	अनुदान संख्या-11-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01-फसल कृषि कर्म-004-अनुसंधान-04-कृषि विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस-0406-कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	मेरठ	300.00	150.00
2		बांदा	100.00	50.00
		योग-	400.00	200.00

(धनराशि रूपये दो करोड़ मात्र)

1. उक्त विश्वविद्यालयों को निर्गत आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार धनराशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को अहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा वस्तुतः जिसे हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अन्य किसी कार्य/मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।
4. योजनान्तर्गत कराये गये कार्य एवं उपलब्धियों को विभागीय वेबसाइड पर प्रदर्शित किया जायेगा।
5. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2021 तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा। योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

6. प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी धनराशि का व्ययावर्तन अनुमन्य न होगा।
7. प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु आई.सी.ए.आर. द्वारा निर्धारित मानको एवं प्रोटोकाल तथा सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।
8. योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।
9. उक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति / निदेशक प्रसार तथा निदेशक शोध का होगा।
10. प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।
11. प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में पृथक से योजनावार विवरण रखा जायेगा।
12. उक्त अनुदान के देयक कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगें। इस देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा ।
13. कुलपति/ वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरांत सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे ।
14. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों /प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-11-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01-फसल कृषि कर्म-004-अनुसंधान-04-कृषि विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस-0406-कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-919/दस-2020, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल ढींगरा)
विशेष सचिव।

सं0-35/2020/2104(1)/67-कृशिअ-20,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदरी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. मण्डलायुक्त/कोषाधिकारी, मेरठ/बांदा ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ/बांदा ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि तत्काल ग्रिड रिपोर्ट निर्गत करने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
6. वित्त (ई) अनुभाग-1
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

संख्याः-35 /2020/2104/67-कृशिअ-20-1500(3)/16टी.सी.-6, दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

कृषि वि0वि0 का नाम	कृषि जलवायुवीय क्षेत्र का नाम	कृषि विज्ञान केन्द्र का जनपद	कृषि जलवायुवी क्षेत्र/ जनपद की उपयुक्तता	वर्ष 2020-21 हेतु राजस्व मद की संस्तुत धनराशि	वर्ष 2029-21 हेतु राजस्व मद में संस्तुत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
मेरठ	तराई जोन बिजनौर	बिजनौर	ऑर्गेनिक बासमती चावल	50.00	25.00
		सहारनपुर	मसरूम, आम तथा मधुमक्खी पालन	50.00	25.00
	पश्चिमी मैदानी	बागपत	गन्ना एवं गुड	50.00	25.00
		मेरठ	पुष्प (कार्नेशन, ग्लेडलाई, ट्यूबरोज, गुलाब, जरबेरा)	50.00	25.00
	मध्य पश्चिमी मैदानी	रामपुर	मक्का उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन	50.00	25.00
		बदायूँ	मुर्गी पालन एवं प्रसंस्करण	50.00	25.00
			योग-	300.00	150.00
बांदा	बुन्देलखण्ड	बांदा	प्राकृतिक कृषि आर्गेनिक एवं डाई लैण्ड फार्मिंग	50.00	25.00
		हमीरपुर	दलहन उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन	50.00	25.00
			योग-	100.00	50.00
			कुल योग-	400.00	200.00

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

प्रेषक,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (कृषि)
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ।

31967
4/3/2021

10063
05/3/2021

पत्रांक /रा0कृ0वि0यो0/ /लेखा–80/2020–21 दिनांक लखनऊ दिनाँक 03 मार्च 2021

विषय :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ (के.60/रा.40–के.+रा.) के अन्तर्गत प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र–रा0कृ0वि0यो0/792/लेखा–80/2020–21 दिनाँक 18.02.2021 के द्वारा वर्ष 2020–21 में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ (के.60/रा.40–के.+रा.) के अन्तर्गत प्रेषित स्वीकृति के प्रस्ताव रु0 1274.09 लाख के सम्बन्ध में वित्त विभाग की पृच्छा के अनुसार उपलब्ध प्राविधान एवं पुनर्विनियोग का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव पृथक–पृथक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुल रु0 76545.30 लाख की धनराशि स्वीकृतियों हेतु उपलब्ध है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु0 72641.05 लाख की स्वीकृतियों के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं। शासन स्तर से अबतक रु0 54314.39 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की जा चुकी हैं। वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2020/बी–1–149/दस–2020–231/2020 दिनाँक 24.3.2020 के क्रम में पुनर्विनियोग के माध्यम से रु0 867.09 लाख (केन्द्रांश रु0 520.25 लाख एवं राज्यांश रु0 346.84 लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित की जा रही है।

वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित परियोजना राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) से अनुमोदित है। परियोजना की संरचना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हुई है तथा प्रस्तावों व आगणकों की जाँच सक्षम स्तर से कर ली गयी है। परियोजना की अनुमोदित एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि आदि का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है:–

धनराशि लाख रु0 में

क्र सं	परियोजना का नाम	विभाग का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		पूर्व में प्रस्तावित स्वीकृति	प्रस्तावित स्वीकृति (60:40)
			बैठक दिनांक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7
1	Strengthening of 07 KVKs of SVBPUAT, Meerut	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ	16.06.2020	1358.09	407.00	867.09

उपरोक्त तालिका क्रमांक–01 पर अंकित Strengthening of 07 KVKs of SVBPUAT, Meerut परियोजना लागत रु0 1358.09 लाख का अनुमोदन एस0एल0एस0सी0 की बैठक दि0 16.06.2020 में भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के निर्देश के साथ प्रदान किया गया है। तदक्रम में भारत सरकार के पत्र दिनाँक 13.08.2020 के द्वारा परियोजना के द्वारा परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित पब्लिसिटी देने हेतु प्रस्तावित धनराशि रु0 84.00 लाख का वित्त पोषण न करने के निर्देश के साथ, अन्य कार्यों हेतु रु0 1274.09 लाख के वित्त पोषण करने हेतु सपोर्ट किया गया है। परियोजनान्तर्गत विश्वविद्यालय के 07 कृषि विज्ञान केन्द्रों यथा– गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूँ, शाहजहाँपुर एवं पीलीभीत का सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी कार्य कराये जाने हैं। प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु शासनादेश संख्या–1235616/ 2020/1545/67–कृषि–20–1099/525/2019 दिनाँक 15.10.2020 के द्वारा गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद हेतु उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 (सिडको), रामपुर एवं मुरादाबाद हेतु उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (निकाय), बदायूँ एवं शाहजहाँपुर हेतु उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 तथा पीलीभीत हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था नामित की गई है। [illegible] के पत्र संख्या [illegible]/5093/2021 दिनाँक 19.01.2021 के द्वारा रु0 1358.09

निदेशक शोध / नि0 प्रसार / वि0नि0

AO (T) R.K.S. R.K.

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

लाख की माँग की गयी है। निदेशालय स्तर से वित्त विभाग की पृच्छा के क्रम में रू0 407.00 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय के माँग एवं शासन के पृच्छानुसार रू0 867.09 लाख (केन्द्रांश रू0 520.25 लाख एवं राज्यांश रू0 346.84 लाख) की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रस्तावित की जा रही है। व्यय की माहवार फेजिंग का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

कुल वित्तीय लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष व्यय की माहवार फेजिंग (वित्तीय वर्ष 2020–21)	योग
	मार्च 2021	
867.09	867.09	867.09

लघु सिंचाई के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 हेतु उपलब्ध प्राविधान एवं प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष 2020–21 के लिए अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म– 800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के.+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएँ (के.60/रा.40–के.+रा.) के अन्तर्गत प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति

धनराशि लाख रू0 में

मानक मद	प्राविधान 2020–21	निर्गत वित्तीय स्वीकृति	व्यय	[illegible] स्वीकृति	प्रस्तावित धनराशि Strengthening of 07 KVKs of SVBPUAT, Meerut	अतिरिक्त मांग	कुल मांग	अन्तर
20– सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	100.00	10.00	0.00	90.00	9.50	9.50	109.50	-9.50
35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	400.00	253.00	0.00	147.00	557.59	557.59	957.59	-557.59
योग	500.00	263.00	0.00	237.00	567.09	567.09	1067.09	-567.09
वर्ष 2020–21 के लिए अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के.+रा.) 0213–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएँ (के.60/रा.40–के								
20– सहायता अनुदान सामान्य– गैरवेतन	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	250.00	130.00	60.00	120.00	300.00	300.00	550.00	-300.00
योग	300.00	130.00	60.00	170.00	300.00	300.00	600.00	-300.00
कुल योग	800.00	393.00	60.00	407.00	867.09	867.09	1667.09	-867.09

उक्तानुसार वर्ष 2020–21 के लिए अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के.+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएँ (के.60/रा.40–के.+रा.) के अन्तर्गत मानक मद–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैरवेतन) में रू0 9.50 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से तथा मानकमद 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में रू0 557.59 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से इस प्रकार कुल रू0 567.09 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित की जा रही है। प्राविधान के ऊपर की धनराशि अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0211–लघु सिंचाई की योजनाएँ (के.60/रा.40–के.+रा.) के मानक मद–27 सब्सिडी में हो रही बचत की धनराशि रू0 567.09 लाख से, मानक मद–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैरवेतन) में रू0 9.50 लाख एवं मानक मद–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में रू0 557.59 लाख कुल रू0 567.09 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है। प्रपत्र बी0एम0–9 की प्रति संलग्न है। *उल्लेखनीय है कि अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की योजनाएँ (के.60/रा.40–के.+रा.) के अन्तर्गत मानकमद 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में रू0 400.00 लाख का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 253.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति विश्वविद्यालय को Establishment of referral analytical laboratory for microbial toxins and environment pollutant परियोजना हेतु निर्गत की गयी है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की Strengthening of 07 KVKs of SVBPUAT, Meerut परियोजना हेतु उपलब्ध प्राविधान से रू0 147.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन स्तर पर विचाराधीन है। साथ ही अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 0211–लघु सिंचाई की योजनाएँ (के.60/रा.40–के.+रा.) के मानक मद–27 सब्सिडी में रू0 1000.00 लाख का प्राविधान है। लघु सिंचाई की*

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

2020-21

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
Indian Council of Agricultural Research
कृषि अनुसंधान भवन- II, पूसा, नई दिल्ली -110012
Krishi Anusandhan Bhawan-II,Pusa, New Delhi-110012

डॉ पी एस पाडेय
Dr. P. S. Pandey
सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान)
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone 011-25841559
adgephs@gmail.com
Website www.icar.org.in

Release : First Instalment /

F.No. Ag.Edn./1(11)/2020-EP&HS
Dated : 11-Mar-2021

To,

The Vice-Chancellor
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology
Meerut

Subject:- Release of grant under sub component **"Strengthening and Development of AUs (Development Grant)"** under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year **2020-21** - reg.

Sir,

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to **Rs. 12924348.00** approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component **"Strengthening and Development of AUs (Development Grant)"** of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2020-21 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under **Strengthening and Development of AUs (Development Grant)** are given in Table given as under:

S.No.	Particulars	Amount (In Rs.)		
		Capital	General	Total
	Total fund allocated under **"Development Grant "** during the CFY 2020-21			
1.	Amount as **First Instalment**	10461075.00	2463273.00	12924348.00
2.	Amount as **Second Instalment**	0.00	0.00	0.00
3.	Amount as **Third Instalment**	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as **Four Instalment**	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during **2020-21**	10461075.00	2463273.00	12924348.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1)			0.00
7.	Amount proposed to be released as **First Instalment**			12924348.00
8.	Unspent as per UC/AUC			6693514.00
9.	Unspent as per AUC already adjusted in			6693514.00
10.	Diffrence, if any, to be refunded/adjusted			0.00
11.	Net amount to be released as **First Instalment**			12924348.00
12.	**Actual Amount release to the University**			12924348.00

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit utilization certificate of statutory auditors furnished by the university. **In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.**

कुलसचिव
सं०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

ICAR Development Grant FY 2020-21

Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India

SN	Items	Fund Allocation (In lakh)	SN	Items	Proposed Allocation (In lakh)
1.3.1	Repair Renovation of Hostel	50.00000	1.3.1	Repair Renovation of Hostel	80.00000
1.3.2	Repair Renovation of Examination Laboratories/Sports Facility Green Initiatives	00.00000	1.3.2	Repair Renovation of Examination Laboratories/Sports Facility Green Initiatives	00.00000
1.3.3	Refurbishing of Smart Class Room	30.00000	1.3.3	Refurbishing of Smart Class Room	00.00000
2.1	Equipment for Central Instrumentation Facility	00.00000	2.1	Equipment for Central Instrumentation Facility	00.00000
2.2	Equipment for UG & PG Laboratories Sports Facility Green Initiatives excluding computer & Its Peripherals	00.00000	2.2	Equipment for UG & PG Laboratories Sports Facility Green Initiatives excluding computer & Its Peripherals	24.61075
3.0	Information Technology (e-Learning & e-Resources)	24.61075	3.0	Information Technology (e-Learning & e-Resources)	00.00000
Total Capital		**104.61075**	**Total Capital**		**104.61075**
9.1.1	Curriculum Development and Delivery Contingency grant for UG/PG Practical and preparation of quality Instructional Manuals	5.00000	9.1.1	Curriculum Development and Delivery Contingency grant for UG/PG Practical and preparation of quality Instructional Manuals	0.00000
9.1.2	Strengthening of UG/PG Teaching: Participation of Facility Ph.D Students in Seminars Conferences Training including Educational Tour within the country. In no case funding for foreign travel well allowed	5.00000	9.1.2	Strengthening of UG/PG Teaching: Participation of Facility Ph.D Students in Seminars Conferences Training including Educational Tour within the country. In no case funding for foreign travel well allowed	10.00000
9.1.3	Support to Dean	6.00000	9.1.3	Support to Dean	2.00000
9.2.1	Student and Faculty Amenities: Tutorials for SC/ST students Counseling, Placement Cell, Health Facilities : Personality Development : Recreation facilities including Agri-Unifest & Agri-Sports	6.00000	9.2.1	Student and Faculty Amenities: Tutorials for SC/ST students Counseling, Placement Cell, Health Facilities : Personality Development : Recreation facilities including Agri-Unifest & Agri-Sports	10.00000
9.2.3	Support to Nodal Cell	2.63273	9.2.3	Support to Nodal Cell	2.63273
Total grant-in-aid Revenue/General		24.63273			24.63273
Total Capital + Revenue/General		129.24348			129.24348

Approved
24/3/2021

V.C. Office
No. 52
25/3/21

N.O. (ICAR)/FC
25.03.2021

आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

https://docs.google.com/document/d/...SbFIHTT4d4hw9/edit

AO
लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक

A.A.
27/3/21
AO

नियन्त्रक कार्यालय
क्रम सं० 10480
दि० 25/3/2021

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

I. Name of the University	SVBPUAT, Meerut			
II. Name of the Plan Scheme	: **Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India**			
III. Head Wise Expenditure for the year : **2019 - 20 (FIRST INSTALMENT)**			**Rs. in lakh**	
S.No.	**Items**	**Main Univ.**	**CoA, Meerut**	**Total**
	Grant-in-Aid CAPITAL			
1	Works	0.00	0.00	0.00
1.1	a.Land	0.00	0.00	0.00
1.2	b.Building	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Girls Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Boys' Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.3	International Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Examination Hall	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Educational Museum	0.00	0.00	0.00
1.2.6	University Auditorium	0.00	0.00	0.00
1.3	c.Works	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Repair/Renovation of Hostel	0.00	40.00	40.00
1.3.2	Repair/Renovation of Examination/Laboratories/Sports Facility/Green Initiatives	10.00	30.00	40.00
1.3.3	Refurbishing of Smart Class Rooms	10.00	10.00	20.00
1.3.4	Centenary Grant-Renovation of Old and Historical Infrastructure	0.00	0.00	0.00
2	Equipment	0.00	0.00	0.00
2.1	Equipment for Central Instrumentation Facility	10.00	0.00	10.00
2.2	Equipment for UG & PG Laboratories/Sports Facility/Green Initiatives excluding computer & its peripherals	0.00	10.00	10.00
2.3	Minor Equipment under Nodal Cell	0.00	0.00	0.00
3	Information Technology (Computer Hardware/Software)	0.00	0.00	0.00
3.1	Computer Hardware	0.00	0.00	0.00
3.2	Computer Software	0.00	0.00	0.00
4	Library Books & Journals	0.00	0.00	0.00
4.1	Print Book	0.00	0.00	0.00
4.2	Print Journal	0.00	0.00	0.00
4.3	e-Book other than CeRA	0.00	0.00	0.00
4.4	e-Journal other than CeRA	0.00	0.00	0.00
4.5	Digitization of Resources	0.00	0.00	0.00
5	Vehicles & Vessels	0.00	0.00	0.00
6	Livestocks	0.00	0.00	0.00
7	Furniture and Fixture for	0.00	0.00	0.00
7.1	Hostel	0.00	0.00	0.00
7.2	Examinational Hall	0.00	0.00	0.00
7.3	Laboratory	0.00	0.00	0.00
7.4	Class Room	0.00	0.00	0.00
7.5	Library	0.00	0.00	0.00
8	Other	0.00	0.00	0.00
	Total CAPITAL	**30.00**	**90.00**	**120.00**
B.	Grant-in-Aid Salaries (REVENUE)	0.00	0.00	0.00
C.	**Grant-in-Aid General(REVENUE)**		0.00	0.00
9	Research & Operational Expenses		0.00	0.00
9.1	Research Expenses		0.00	0.00
9.1.1	Curriculum Development and Delivery/ Contingency	17.00	17.00	34.00

कुलसचिव
सं०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

संख्या–427 / 12–3–2021–100(10) / 2018

प्रेषक

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

कुलपति,
सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 17 मार्च, 2021

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 मे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक–रा.कृ.वि.यो / 836 / लेखा–80 / 20–21, दिनांक 03.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2020–21 के आय–व्ययक मे प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध प्राविधान से रू0 407.00 लाख (रू0 चार करोड सात लाख मात्र) की धनराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्न परियोजनान्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र स	परियोजना का नाम	विभाग / संस्था का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		मानक मद	स्वीकृत धनराशि
			बैठक दिनॉक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	
1	Strengthening of 07 KVKs of SVBPUAT, Meerut	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	16.06.2020	1358.09	अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म 800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60 / रा.40–के.+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाऐं (के.60 / रा.40–के.+रा.)	
					20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	90.00
					35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	147.00
					योग	237.00
					अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60 / रा. 40–के.+रा.) 0213–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाऐं (के.60 / रा.40–के.+रा.)	
					20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	50.00
					35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	120.00
					योग	170.00
					कुल योग	407.00

(रू0 चार करोड सात लाख मात्र)

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3– स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। प्रस्ताव में सन्निहित आंकड़ों की शुद्धता / केन्द्राश की उपलब्धता तथा स्वीकृत धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। [illegible] ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि से [illegible] संबंधी सुसंगत शासनादेश में निर्धारित क्रय प्रक्रिया / व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की [illegible] व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा।

4– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों / प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय [illegible] अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किये जाने का उत्तरदायित्व कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि [illegible] प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों [illegible] सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक [illegible] वाह्य सहायतित तथा राज्य / जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) [illegible] अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है, ऐसी सभी योजनाओं, कार्यक्रम में लाभार्थी [illegible] संबंध में शासनादेश संख्या 3497 / 12–3–2012 [illegible] लिया जाए।

6– स्वीकृत की जा रही [illegible]

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त [illegible] सूचना शासन [illegible]

7– स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की कालिमा कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय [illegible] वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं [illegible] जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के [illegible] पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। [illegible] वित्तीय अनियमितता [illegible] है। यदि [illegible] शासन की पूर्वानुमति [illegible]

8– स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय [illegible] शासनादेश संख्या–बी–1–1196 [illegible] 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय [illegible] विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के [illegible] उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय [illegible] का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9– वित्त लेखा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–ए–1–285 / दस–2012–10(29) / 2011टी.सी.–II, दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या–1–11011 / 58 / 2013 डी०बी०टी० दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

10– योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर [illegible] अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक / वित्तीय प्रगति रिपोर्ट [illegible] अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक / संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति / संस्थाओं के प्रमुख द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति / द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

11– संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति / संस्थाओं के प्रमुख [illegible] सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध [illegible] योजना का Impact assessment [illegible] फीडबैक दिया जायेगा। योजना के [illegible] की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय [illegible] सुनिश्चित कराया जाय।

12– स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का [illegible] कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा।

13– उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के [illegible] अनुदान संख्या / लेखाशीर्षक / मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2017 / बी–1–02 / दस–2017–231 / 2017 दिनांक 02.01.2017 एवं 1 / 2018 / बी–1–375 / दस–2018–231 / 2018 दिनांक 30.03.2018 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 3 / 2018 / बी–1–438 / दस–2018–231 / 2018, दिनांक 24.04.2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2019 / बी–1–170 / दस–2019–231 / 2019 दिनांक 22.03.2019 कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2020 / बी–1–149 / दस–2020–231 / 2020 दिनांक 24.03.2020 शासनादेश संख्या–4 / 2020 / बी–1–192 / दस–2020–231 / 2020, दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या–5 / 2020 / बी–1–196 / दस–2020–231 / 2020, दिनांक 11.04.2020 शासनादेश संख्या–6 / 2020 / बी–1–218 / दस–2020–231 / 2020 दिनांक 18.05.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)

सं0–427(1) / 12–3–2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि [illegible]

1– [illegible]
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3– सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
4– संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5– अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6– निदेशक आर.के.वी.वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग (आर.के.वी.वाई.) [illegible] कृषि भवन, नई दिल्ली
7– संबंधित कोषाधिकारी, मेरठ
8– [illegible]
9– [illegible]
10– नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई. [illegible]
11– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 / कृषि अनुभाग–5 [illegible]
13– गार्ड बुक

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

आज्ञा से

संख्या- 20/2021/ 752/67-कृशिअ-21-500(2)/15

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

V. C. Office
R. No. 6944
27/3/021

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ:दिनांक: 27 मार्च, 2021

विषय: कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में (अवशेष 05 प्रतिशत एवं देय जी.एस.टी.) वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सवप/वी0सी0/4966/2019 दिनांक 19.09.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-10/2016/196/67-कृशिअ-16-500(2)/15,दिनांक 02 मार्च, 2016 रू0-1902.18 लाख के लागत की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की पुनरीक्षित लागत पी.एफ.ए.डी. नियोजन विभाग के आंकलनोपरांत शासनादेश संख्या-45/2018/2055/67-कृशिअ-18-500(2)/15,दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा आंकलित लागत रू0-2236.61 लाख +(जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी) की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त लागत के सापेक्ष धनराशि रू0-500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-10/2016/196/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 02 मार्च, 2016 द्वारा, रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-40/2016/ 1101/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 13 जुलाई, 2016 द्वारा, रू0-214.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0- 2/2017/2169/67-कृशिअ-16-500(2)/15, दिनांक 14 फरवरी 2017 द्वारा, रू0-166.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-25/2017/731/67-कृशिअ-17-500(2)/15, दिनांक 15 मई, 2017, रू0-233.35 लाख की वित्तीय स्वीकृत शासनादेश सं0-32/2017/ 1553/67-कृशिअ-17-500(2)/15, दिनांक 30 अगस्त, 2017, रू0-158.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-16/2018/578/67-कृशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 29.03.2018, रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-26/2018/1267/67-कृशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 04.06.2018 तथा रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-3/2018/2623/67-कृशिअ-18-500(2)/15 दिनांक 15.01.2019 एवं शासनादेश सं0-22/2019/956/67-कृशिअ-19-500(2)/15 दिनांक 28.06.2019 द्वारा धनराशि रू0- 252.28 लाख तथा शासनादेश सं0-27/2020/ 1707/67-कृशिअ-20-500(2)/15 दिनांक 21.10.2020 द्वारा धनराशि रू0- 102.77 लाख (देय जी.एस.टी. धनराशि) की स्वीकृति सहित कुल रू0-2227.55 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्तानुसार स्वीकृति के पश्चात प्रश्नगत कार्य हेतु 05 प्रतिशत की अवशेष धनराशि तथा अवशेष जी.एस.टी. (रू0-111.83+35.89) वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-147.72 लाख (रू0 एक करोड़ सैतालिस लाख बहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन संलग्न बी0एम-9 के अनुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1) धनराशि का आहरण एवं व्यय पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
2) जी0एस0टी0 के भुगतान हेतु उतनी ही धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी, जितनी की निर्धारित /भुगतान की गयी है।
3) योजना की लागत के 05 प्रतिशत धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित हो लेगें कि निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, हैण्डओवर हो गया है तथा कार्य की गुणवत्ता एवं विशिष्टियां निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।
4) जिस बचत की मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पश्चात परियोजना में अब कोई देयता अवशेष नहीं रहेगी।
6) स्वीकृत परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जाए।

वि0नि0 / कुलसचिव

RnBA
27.03.2021

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

10570

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

7) प्रकरण में उल्लिखित उपरोक्त शासनादेशों की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8) वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप धनराशि आहरित करते हुये निर्दिष्ट अवधि में उपभोग सुनिश्चित किया जाय एवं मितव्ययिता के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9) कार्यों की फेजिंग तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति से विभाग/शासन को समयबद्ध रूप से अवगत कराया जाय।

10) उक्त अनुदान का देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक को जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।

11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-27-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ-2704-केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक :- बी.एम.-9।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

सं0-20/2021/752(1)/67-कृशिअ-21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, मेरठ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक / परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 स्टेट कान्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 लखनऊ / मेरठ।
6. निदेशक, प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ।
7. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

Computer No. 1417815 File No. 12-3099/125/2021
संख्या–976/12–3–2021–100(09)/2018

प्रेषक

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि अनुभाग–3

लखनऊः दिनांक: 26 अगस्त, 2021

विषय– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के.+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएं (के.60/रा.40–के.+रा.) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक–रा.कृ.वि.यो./168/लेखा–80/2020–21, दिनांक 28.07.2021, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2021–22 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय–02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के. 60/रा.40–के+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएं (के.60/रा.40–के+रा.) के अन्तर्गत प्रस्तावित धनराशि रू0 492.63 लाख (केन्द्रांश रू0 295.58 लाख एवं राज्यांश रू0 197.05 लाख) के सापेक्ष वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से सम्प्रति केन्द्रांश की धनराशि **रू0 295.58 लाख (रू0 दो करोड़ पिच्चानबे लाख अट्ठावन हजार मात्र)** की धनराशि निम्न परियोजनान्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र स	परियोजना का नाम	विभाग/संस्था का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		मानक मद	स्वीकृत धनराशि
			बैठक दिनाँक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7
1	Establishment of referal analytical laboratory for microbial toxins and environment pollutants/ toxicants	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ	16.06.20	375.00	अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के. 60/रा.40–के.+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएं (के.60/रा.40–के.+रा.) 20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान योग–	6.00 183.00 189.00
2	Functionalization of hatchery unit and entrepreneurship development at poultry research and training centre		28.06.21	20.88	अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के. 60/रा.40–के.+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएं (के.60/रा.40–के.+रा.) 20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान योग–	8.07 1.91 9.98
3	Strengthening and modernization of Food Processing Unit		28.06.21	161.00	अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय 02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के. 60/रा.40–के.+रा.) 0214–सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की योजनाएं (के.60/रा.40–के.+रा.) 20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान योग–	10.80 85.80 96.60
					कुल योग–	295.58

(रू0 दो करोड़ पिच्चानबे लाख अट्ठावन हजार मात्र)

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3– कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, भारत सरकार द्वारा पुनर्वेक्ष की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 15.04.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रस्ताव में आँकड़ों की शुद्धता का दायित्व कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, का होगा। प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी यह कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ का उत्तरदायित्व रहेगा। वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं मिल जाता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, सम्भावित व्यय की वित्तीय विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे। विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3 / 2021 / बी–1–375 / दस–2021– 231 / 2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों / प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त सहित संगत शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किये जाने का उत्तरदायित्व कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा।

5– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य / जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी / सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं / कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या–3497 / 12–3–2012–100(70) / 2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

6– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव / अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों / गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय–व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

7– स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों का संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति / स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

8– स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195 / दस–16 / 94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9– वित्त लेखा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–ए–1–285 / दस–2012–10(29) / 2011टी.सी.–II, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या–1–11011 / 58 / 2013–डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

10– योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक / वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक / संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति / संस्थाओं के प्रमुख द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति / द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

11– संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति / संस्थाओं के प्रमुख जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। लाभार्थियों की सूची तथा उन्हें दिये गये लाभों का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

12– स्वीकृत धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ का होगा।

13– उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित अनुदान संख्या / लेखाशीर्षक / मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2017 / बी–1–02 / दस–2017–231 / 2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1 / 2018 / बी–1–375 / दस–2018–231 / 2018, दिनांक 30.03.2018 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–3 / 2018 / बी–1–438 / दस–2018–231 / 2018, दिनांक 24.04.2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2019 / बी– 1–170 / दस–2019–231 / 2019, दिनांक 22.03.2019, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2020 / बी–1–149 / दस–2020–231 / 2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या–4 / 2020 / बी–1–192 / दस–2020–231 / 2020, दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या–5 / 2020 / बी–1– 196 / दस–2020–231 / 2020, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या–6 / 2020 / बी–1–218 / दस– 2020–231 / 2020, दिनांक 18.05.2020, शासनादेश संख्या–3 / 2021 / बी–1–375 / 10–2021–231 / 2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

Signed by बृजराज सिंह यादव
Date: 26-08-2021 11:31:38
Reason: Approved

(3)

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

Computer No: 1417815 File No: 12-3099/125/2021

संख्या–976 / 12–3–2021––तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4– संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5– अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6– निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एव सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7– संबंधित कोषाधिकारी, मेरठ।
8– जिलाधिकारी, मेरठ।
9– वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10– नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई. कृषि भवन, लखनऊ।
11– वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–1 / कृषि अनुभाग–5 / नियोजन अनुभाग–3
13– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

I/99301/2021

E-Mail

AO(T)

21/09/21

संख्या:-37/2021/1830287/कृशिअ-67-1009(002)/47/2019

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक

अजय कुमार तिवारी
लेखाधिकारी

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ/कानपुर/अयोध्या/बांदा ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊः दिनांक 21/09/2021

विषयः कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों (जोन्स) में दो कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष 04 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों को वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्रांक-705/एफसी/2021 दिनांक 06.09.2021 व कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ का पत्र सं0-सवप/वीसी/5243 दिनांक 07.09.2021 एवं वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्रांक-542/ए.एन.डी.यू.ए.टी-8/लेखा/2021 दिनांक 06.09.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों (जोन्स) में दो कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने हेतु संगत कृषि जलवायु जोन के अनुकूल चयनित फसल/प्रणाली/तकनीक हेतु सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने के दृष्टिगत संलग्न तालिका मे उल्लिखित प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु निम्न तालिका के कालम-3 में अंकित 04 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0-900.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-450.00 लाख (चार करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	कृषि विश्वविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राजस्व मद की संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राजस्व मद में संस्तुत धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	अनुदान संख्या-11-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01-फसल कृषि कर्म-004-अनुसंधान-04-कृषि विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस-0406-कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	मेरठ	300.00	150.00
2		कानपुर	200.00	100.00
3		अयोध्या	300.00	150.00
4		बांदा	100.00	50.00
		योग-	900.00	450.00

(धनराशि रूपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को अहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा वस्तुतः जिसे हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अन्य किसी कार्य/मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।
3. योजनान्तर्गत कराये गये कार्य एवं उपलब्धियों को विभागीय वेबसाइड पर प्रदर्शित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी धनराशि का व्ययावर्तन अनुमन्य न होगा।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

6. प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु आई.सी.ए.आर. द्वारा निर्धारित मानको एवं प्रोटोकाल तथा सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।
8. उक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति / निदेशक प्रसार तथा निदेशक शोध का होगा।
9. प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।
10. प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में पृथक से योजनावार विवरण रखा जायेगा।
11. उक्त अनुदान के देयक कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगें। इस देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा ।
12. कुलपति/ वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरांत सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुदान संख्या-11-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01-फसल कृषि कर्म-004-अनुसंधान-04-कृषि विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस-0406-कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित व्यवस्था के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक :- यथोक्त

भवदीय,

Signed by बृजराज सिंह यादव
Date: 21-09-2021 12:31:09
Reason: Approved

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

सं0-37/2021/1830287(1)/67-कृशिअ-21,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदरी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. मण्डलायुक्त/कोषाधिकारी, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौयोगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि तत्काल ग्रिड रिपोर्ट निर्गत करने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
6. वित्त (ई) अनुभाग-1
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्याः- 37/2021/कृशिअ-67-1009(002)/47/2019, दिनांक 21/09/2021 का संलग्नक ।

क्र. सं.	कृषि वि0वि0 का नाम	कृषि जलवायुवीय क्षेत्र	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	कृषि जलवायुवीय क्षेत्र / जनपद की उपयुक्तता	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राजस्व मद की संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राजस्व मद में संस्तुत धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	तराई जोन	बिजनौर	ऑर्गेनिक बासमती चावल	50.00	25.00
			सहारनपुर	मसरूम, आम तथा	50.00	25.00

कुलसचिव
स0वे0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

				मधुमक्खी पालन		
		पश्चिमी मैदानी	बागपत	गन्ना एवं गुड़	50.00	25.00
			मेरठ	पुष्प (कार्नेशन, ग्लेडलाई, टयूबरोज, गुलाब, जरबेरा)	50.00	25.00
		मध्य पश्चिमी मैदानी	रामपुर	मक्का उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन	50.00	25.00
			बदायूँ	मुर्गी पालन एवं प्रसंस्करण	50.00	25.00
				योग-	**300.00**	**150.00**
2	कानपुर	दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क	अलीगढ़	मधुमक्खी पालन, सरसों	50.00	25.00
			मैनपुरी	मूंगफली उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य/गुणवत्ता संवर्धन	50.00	25.00
		मध्य मैदानी	इटावा	आलू उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य/ गुणवत्ता संवर्धन, बाजरा एवं ज्वार	50.00	25.00
			फतेहपुर	बकरी एवं मुर्गी पालन एवं प्रसंस्करण	50.00	25.00
				योग-	**200.00**	**100.00**
3	अयोध्या	पूर्वी मैदानी	मऊ	धान+गेंहूँ विविधीकरण	50.00	25.00
			वाराणसी	सब्जी प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन	50.00	25.00
		उत्तरी पूर्वी मैदानी	बलरामपुर	मत्स्य आधारित एकीकृत फसल प्रबन्धन	50.00	25.00
			गोरखपुर	लीची, अमरूद तथा आम उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन	50.00	25.00
		विन्ध्य	सोनभद्र	शुष्क औद्योगिकी एवं मोटा अनाज	50.00	25.00
			चन्दौली	आंवला अन्य प्रचलित फल एवं औषधीय पौधे	50.00	25.00
				योग-	300.00	150.00
4	बांदा	बुन्देलखण्ड	बांदा	प्रकृतिक कृषि आर्गेनिक एवं ड्राई लैण्ड फार्मिंग	50.00	25.00
			हमीरपुर	दलहन उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन	50.00	25.00
				योग-	100.00	50.00
				कुल योग-	900.00	450.00

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
कृषि अनुभाग–3,
सचिवालय, लखनऊ।

पत्रांक /रा0कृ0वि0यो0/ /लेखा–80 /2021–22 दिनॉक 29 मार्च, 202

विषय :– वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के. 60/रा.40–के+रा.) 0214 सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की योजन (के.60/रा.40–के+रा.) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशालय के पत्रांक– रा0कृ0वि0यो/168/लेखा–80/2020– दिनॉक 28.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0 492.63 लाख (केन्द्रांश रू0 295.58 लाख एवं राज्यांश रू0 197.05 लाख) के सापे शासनादेश संख्या–976/12–3–2021–100(09)/2018 दिनांक 26.08.2021 (छायाप्रति संलग्न) के क्र में वर्ष 2021–22 हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के+रा.) 0214 सरदार बल्लभ भाई पटेल कृ विश्वविद्यालय मेरठ की योजनाएँ (के.60/रा.40–के+रा.) के अन्तर्गत मानक मद 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में रू0 24.87 लाख एवं मानक मद 35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हे अनुदान में रू0 270.71 लाख कुल केन्द्रांश की धनराशि रू0 295.58 लाख की वित्तीय स्वीकृति कृ विश्वविद्यालय मेरठ की निम्न परियोजनाओं हेतु निम्न प्रकार निर्गत की गई है:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र स	परियोजना का नाम	लेखाशीर्षक	मानकमद	केन्द्रॉश की स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	Establishment of referral analytical laboratory for microbial toxins and environment pollutants/ toxicants	लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के+रा.) 0214 सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ	20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	6.0
			35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	183.0
			योग	189.0
2	Functionalization of hatchery unit and entrepreneurship development at poultry research and training centre		20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	8.0
			35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1.9
			योग	9.9
3	Strengthening and modernization of Food Processing Unit		20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	10.8
			35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	85.8
			योग	96.6
			कुल योग	295.5

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

उक्त क्रम में निदेशक शोध, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के पत्र सं0 सवप/2022/वि0नि0/809 दिनाँक 28.03.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 26.08.2021 के द्वारा मानक मद 20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन) में केन्द्रांश की स्वीकृत धनराशि रू0 24.87 लाख के सापेक्ष रू0 5.63 लाख का व्यय हुआ है, जिसके सापेक्ष राज्यांश की आवश्यकता है। । मानक मद 20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन) की शेष धनराशि रू0 19.24 लाख एवं मानक मद 35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में निर्गत केन्द्रॉश की धनराशि रू0 270.71 लाख सहित कुल धनराशि रू0 289.95 लाख का समर्पण विश्वविद्यालय द्वारा कर दिया गया है। अतः केन्द्रांश की व्यय की गई धनराशि रू0 5.63 लाख के सापेक्ष वांछित 40 प्रतिशत राज्यांश रू0 3.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत प्रस्तावित है:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र स	परियोजना का नाम	लेखाशीर्षक	मानकमद	केन्द्रांश की निर्गत स्वीकृति	स्वीकृति के सापेक्ष व्यय	प्रस्तावित राज्यांश की स्वीकृतियां
1	2	3	4	5		
1	Establishment of referral analytical laboratory for microbial toxins and environment pollutants/ toxicants	लेखाशीर्षक–2401 –फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा. 40–के+रा.) 0214 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ	20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	6.00	1.13	0.75
			35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों क सृजन हेतु अनुदान	183.00	0.00	0.00
			योग	**189.00**	**1.13**	**0.75**
2	Functionalization of hatchery unit and entrepreneurship development at poultry research and training centre		20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	8.07	1.33	0.88
			35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1.91	0.00	0.00
			योग	**9.98**	**1.33**	**0.88**
3	Strengthening and modernization of Food Processing Unit		20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	10.80	3.18	2.12
			35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	85.80	0.00	0.00
			योग	**96.60**	**3.18**	**2.12**
कुल योग				**295.58**	**5.63**	**3.75**

उक्त के आलोक में प्रस्ताव है कि शासनादेश संख्या–976/12–3–2021–100(09)/2018 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के+रा.) 0214 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की योजनाएँ (के.60/रा.40–के+रा.) के अन्तर्गत मानक मद 20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन) में राज्यांश रू0 3.75 लाख (रू0 तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कुलसचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के पक्ष में निर्गत कराने

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

तथा स्वीकृत धनराशि का आवटन विश्वविद्यालय के पक्ष में करने हेतु वित्त नियन्त्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को शासनादेश की प्रति पृष्ठांकित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विवेक कुमार सिंह)
कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक /रा0कृ0वि0यो0/ 956 / लेखा–80 /2021–22 दिनाँक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।
2. निदेशक शोध, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।
3. वित्त नियंत्रक कृषि भवन, लखनऊ।

नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

2022-23

23005 53

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
Indian Council of Agricultural Research
कृषि अनुसंधान भवन- II, पुसा, नई दिल्ली -110012
Krishi Anusandhan Bhawan-II,Pusa, New Delhi-110012

डॉ सीमा जग्गी
Dr. Seema Jaggi
सहायक महानिदेशक (HRD)
Asstt. Director General (HRD)

Phone 011-25843635
adg.hrd@icar.gov.in
Website www.icar.org.in

Release : First Instalment /

F.No. Ag.Edn./4(2)/2021-EP&HS
Dated : 14-Oct-2022

To,

The Vice-Chancellor
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology
Meerut

Subject:- Release of grant under sub component **"Strengthening and Development of AUs (Development Grant)"** under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year **2022-23** - reg.

Sir,

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to **Rs. 4500000.00** approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component **"Strengthening and Development of AUs (Development Grant)"** of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year **2022-23** on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under **Strengthening and Development of AUs (Development Grant)** are given in Table given as under:

S.No.	Particulars	Amount (in Rs.)		
		Capital	General	Total
	Total fund allocated under "**Development Grant** " during the CFY **2022-23**			
1.	Amount as **First Instalment**	3000000.00	1500000.00	**4500000.00**
2.	Amount as **Second Instalment**	0.00	0.00	**0.00**
3.	Amount as **Third Instalment**	0.00	0.00	**0.00**
4.	Amount as **Four Instalment**	0.00	0.00	**0.00**
5.	Total fund allocated during **2022-23**	3000000.00	1500000.00	**4500000.00**
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1)			**0.00**
7.	Amount proposed to be released as **First Instalment**			**4500000.00**
8.	Unspent as per AUC			**547.00**
9.	Unspent as per UC already adjusted in			**547.00**
10.	Diffrence, if any, to be refunded/adjusted			**0.00**
11.	Net amount to be released as **First Instalment**			**4500000.00**
12.	**Actual Amount release to the University**			**4500000.00**

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit utilization

certificate of statutory auditors furnished by the university. **In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.**

Layout plan and estimates of the civil works (including extension if any, to existing civil work) including their design and estimates in particular, for which grant has been released/utilized shall be got approved from the ICAR. **In addition, the approval of ICAR is essentially required for each civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and purchase of each and every equipments under the Head Capital. It is further informed that under Revenue Head, only items of consumables nature are admissible and fixed/immovable equipments purchased under Revenue Head will be disallowed. Non-compliance of the instruction of the Council will be viewed seriously and amount incurred will be treated as disallowed.**

The aforesaid grant is to be utilized within the CFY . In case of expenditure of the nature of capital investment, the list of all works done and items purchased are to be sent to ICAR on the closure of the financial year. The Audited Utilization Certificate in the prescribed format of GFR 12A & 12C for their period is also required to be sent immediately thereafter.

As per unspent balance shown in UC/AUC of from the university, the unspent amount has been adjusted/deducted during the release for CFY The details are given on previous page in table. This issue is with the approval of competent authority and financial concurrence of IFD.

The funds released by the Council will only be utilized for the said colleges being accredited by the ICAR only. This letter conveyed the approval of budgetary allocations only. The implementation of different components/activities shall be regulated based on the availability of funds from ICAR. In case the expenditure exceeds the total released amount during the financial year, the excess amount will not be paid by the Council.

Yours faithfully

14/10/2022

(Seema Jaggi)
Assistant Director General (HRD)

Copy to:-

1. Director Finance, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi for making the payment of Rs. 4500000.00 /- (Rs. Forty-Five Lakh Only), to the University under intimation to this Section. The Authority Memo in the prescribed proforma is enclosed for ensuring the release of the above amount.
2. Nodal Officer, Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology,Meerut
3. The Comptroller, Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology,Meerut

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

I. Name of the University : SVBPUAT, Meerut				
II. Name of the Plan Scheme : Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India				
III. Head Wise Expenditure for the year : 2022-23 (FIRST INSTALMENT) Rs. in lakh				
S.No.	**Items**	**Main Univ.**	**CoA, Meerut**	**Total**
	Grant-in-Aid CAPITAL			
1	Works	0.00	0.00	0.00
1.1	a.Land	0.00	0.00	0.00
1.2	b.Bulding	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Girls Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Boys' Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.3	International Hostel	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Examination Hall	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Educational Museum	0.00	0.00	0.00
1.2.6	University Auditorium	0.00	0.00	0.00
1.3	c.Works	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Repair/Renovation of Hostel	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Repair/Renovation of Examination/Laboratories/Sports Facility/Green Initiatives	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Refurbishing of Smart Class Roomsm (2 Nos @10 Lakh each)	20.00	0.00	20.00
1.3.4	Centenary Grant/Renovation of Old and Historical Infrastructure	0.00	0.00	0.00
2	Equipment	0.00	0.00	0.00
2.1	Equipment for Central Instrumentation Facility	0.00	0.00	0.00
2.2	Equipment for UG & PG Laboratories/Sports Facility/Green Initiatives excluding computer & its peripherals	10.00	0.00	10.00
2.3	Minor Equipment under Nodal Cell	0.00	0.00	0.00
3	Information Technology (Computer Hardware/Software)	0.00	0.00	0.00
3.1	Computer Hardware	0.00	0.00	0.00
3.2	Computer Software	0.00	0.00	0.00
4	Library Books & Journals	0.00	0.00	0.00
4.1	Print Book	0.00	0.00	0.00
4.2	Print Journal	0.00	0.00	0.00
4.3	e-Book other than CeRA	0.00	0.00	0.00
4.4	e-Journal other than CeRA	0.00	0.00	0.00
4.5	Digitization of Resources	0.00	0.00	0.00
5	Vehicles & Vessels	0.00	0.00	0.00
6	Livestocks	0.00	0.00	0.00
7	Furniture and Fixture for	0.00	0.00	0.00
7.1	Hostel	0.00	0.00	0.00
7.2	Exminational Hall	0.00	0.00	0.00
7.3	Laboratory	0.00	0.00	0.00
7.4	Calss Room	0.00	0.00	0.00
7.5	Library	0.00	0.00	0.00
8	Other	0.00	0.00	0.00
	Total CAPITAL	**30.00**	**0.00**	**30.00**
B.	Grant-in-Aid Salaries (REVENUE)	0.00	0.00	0.00
C.	**Grant-in-Aid General(REVENUE)**		0.00	0.00
9	Research & Operational Expenses		0.00	0.00
9.1	Research Expenses		0.00	0.00
9.1.1	Curriculum Development and Delivery: Contingency grants for UG/PG Practical and preparation of quality Instructional Manuals	5.00	0.00	5.00

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

संख्या: 2293542/2023-कृशिअ-67-1002(003)/1/2023

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मोदीपुरम, मेरठ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊ:दिनांक 14/02/2023

विषय:- सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कॉलेज आफ शुगरकेन टैक्नोलॉजी के संचालन हेतु फर्नीचर एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ पत्रांक सवप/2022/वि0 नि0/947, दिनांक 07.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कॉलेज आफ शुगरकेन टैक्नोलॉजी के संचालन हेतु फर्नीचर एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से धनराशि रू.200.00 लाख प्रावधानित है। उक्त परियोजना की स्वीकृत धनराशि रू.200.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त रू.100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों,

1. विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर ए.आई.सी.टी.ई. के मानक, गुणवत्ता एवं उपादेयता के अनुसार शुगरकेन टैक्नोंलाजी गन्ना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के संचालन हेतु फर्नीचर एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये फर्नीचर व लैब इक्यूपमेंट आदि सामग्री क्रय की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय/संस्था का होगा।
4. धनराशि कोषाकार से आहरित करके प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा/किसी अन्य मद में

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

I/274577/2023

पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि से प्रश्नगत महाविद्यालय के लिए फर्नीचर, लैब एक्यूपमेंट आदि का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
8. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।
9. अनुदान के देयक, जो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। इस देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त / शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
10. संबंधित कुलपति / वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।
11. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4415802772702 शुगरकेन टैक्नोलाजी गन्ना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के संचालन हेतु फर्नीचर एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या E-1-402-X-2022-23-दिनांक:8-2-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by अशोक कुमार सिंह
Date: 14-02-2023 (अशोक कुमार सिंह)
Reason: Approved
अनुसचिव।

संख्या: 2293542/2023-कृशिअ-67-1002(003)/1/2023-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम,उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. मण्डलायुक्त/कोषाधिकारी, मेरठ ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ ।
4. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक कृषि निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
7. गार्ड फाइल।

कुलसचिव
स०व०प्र० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

/274577/2023

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह, US
(AKS)-AER, कार्यालय
अनुसचिव (कृषि शिक्षा एवं
अनुसंधान)
(अशोक कुमार सिंह)
अनुसचिव।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

i/272400/2023

संख्याः 2242713/2022-कृशिअ-67-1002(099)/4/2022

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊः दिनांक 09/02/2023

विषयः- सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कॉलेज आफ टैक्नोलॉजी एवं इसकी वर्कशॉप के लिए फर्नीचर, फर्निशिंग एवं लैब एक्यूपमेंट आदि के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक सवप/2022/वि0नि0/918, दिनांक 12.10.2022 कुलसचिव, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक/सवप/2022/कु0स0/11462, दिनांक 05.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कॉलेज आफ टैक्नोलॉजी एवं इसकी वर्कशॉप के लिए फर्नीचर, फर्निशिंग एवं लैब एक्यूपमेंट आदि के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से धनराशि रू.200.00 लाख प्रावधानित है। उक्त प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू.200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर ए.आई.सी.टी.ई. के मानक, गुणवत्ता एवं उपादेयता के अनुसार कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी एवं इसकी वर्कशॉप के लिये फर्नीचर, फर्निशिंग व लैब इक्यूपमेंट आदि सामग्री क्रय की जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
3. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
4. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।
5. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
8. धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय/ संस्था का होगा।
9. धनराशि कोषाकार से आहरित करके प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि में वर्कशॉप के लिये फर्नीचर, फर्निशिंग एवं लैब एक्यूपमेंट आदि का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
13. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।
14. अनुदान के देयक, जो कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। इस देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त / शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
15. संबंधित कुलपति / वित्त नियंत्रक, अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।
16. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4415802772701 कॉलेज ऑफ टेक नोलॉजी एवं इसकी वर्कशॉप के लिये फर्नीचर, फर्निशिंग व लैब इक्यूपमेंट आदि **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-1-388/दस-2022-23 दिनांक 31.01.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by अशोक कुमार सिंह
Date: 09-02-2023 [illegible]:10
Reason: Approved

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

I/272400/2023

अनुसचिव।

संख्याः 2242713/2022-कृशिअ-67-1002(099)/4/2022-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम,उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मेरठ ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ ।
4. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक कृषि निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह, US
(AKS)-AER, कार्यालय
अनुसचिव (कृषि शिक्षा एवं
अनुसंधान)
(अशोक कुमार सिंह)
अनुसचिव।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)